मुख्यमंत्री मंगला पशुबीमा योजना (2025–26) के लिये FAQ's

नोटः– निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर के योजनान्तर्गत पत्रांक एफ.वी.25()प. बी./मु.मं.प.बी.योजना/विविध/25–26/1688 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा अतिरिक्त प्रावधान एवं परिवर्तन किये गये है।

Q.1	मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?
A 1.	प्रदेश के पशुपालकों को अमूल्य पशुधन का निःशुल्क बीमा कर पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करवाना है।
Q 2.	योजना का लाभ लेने हेतु कौन पात्र होगा ?
A.2	राजस्थान के पशुपालक जिनके पास जन आधार कार्ड धारक, जनाधार कार्ड में अंकित नामों में से कोई भी व्यस्क सदस्य आवेदन हेतु पात्र होगा एवं टैग्ड पशु होना अनिवार्य होना चाहिए।
Q 3.	योजना में आवेदन कैसे करें ?
A 3.	योजना में आवेदन के लिए मोबाईल ऐप MMPBY वेब पोर्टल mmpby.rajasthan.gov.in पर स्वयं अथवा ई–मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकते है।
Q 4.	योजना में चयनित होने के मापदण्ड क्या है ?
A 4.	योजना में पशुपालक का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जाना है। पशुपालक के चयन के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक एवं लखपती दीदी कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जावेगी। वित्तिय वर्ष 2024–25 में लॉटरी प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची में शामिल पशुपालकों के पशुओं का बीमा वित्तिय वर्ष 2025–26 में प्राथमिकता से किया जाना है।
Q 5.	पशु को टेग कौन करेगा ?
A 5.	आपके क्षेत्र के जो भी नजदीक के राजकीय पशु चिकित्सा संस्था से संपर्क करें।
Q 6.	योजना के अन्तर्गत एक पशुपालक अधिकतम कितने पशुओं का बीमा लाभ ले सकता है?
A 6.	योजनान्तर्गत एक पशुपालक अधिकतम 2 unit यथा :– • 2 दुधारू गाय/भैंस • 1 दुधारू गाय और 1 दुधारू भैंस • 1 दुधारू गाय/भैंस और 1 से 10 तक बकरी/भेड/10 ऊंट • 10 ऊंट और 1 से 10 तक बकरी/भेड वर्ष 25–26 में ऊंट पालकों की संख्या कम होने से प्रति ऊंट पालक 10 ऊंटों का बीमा किया जाना है।
Q 7.	योजना के लाभ की लेने में क्या कोई बाध्यता है?
A 7.	हॉ, योजना के अन्तर्गत उन्हीं पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जावेगा, जो किसी अन्य बीमा योजना के तहत् बीमित नहीं हो।
Q 8.	योजनान्तर्गत बीमा अवधि कितनी होगी?
A 8.	1 वर्ष
Q 9.	योजनान्तर्गत पशु की कीमत का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा?

A 9.	पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार होगा।
Q 10.	दुधारू गाय की उम्र क्या होगी?
A 10.	3 से 12 वर्ष तक
Q 11.	दुधारू भैंस की उम्र क्या होगी?
A 11.	4 से 12 वर्ष तक
Q 12.	बकरी/भेड़ (मादा) की उम्र क्या होगी?
A 12.	1 से 6 वर्ष तक
Q 13.	ऊंट (मादा/नर) की उम्र क्या होगी?
A 13.	2 से 15 वर्ष तक
Q 14.	क्या योजना में जाति वर्ग के अनुसार आरक्षण रखा है?
A 14.	हॉ, अनुसूचित जाति हेतु 16% एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 12% आरक्षण का प्रावधान है।
Q 15	योजना में मृत पशु दावा में कौन से दस्तावेज लगाये जाते है?
A 15	दावा प्रपत्र के साथ समस्त दस्तावेज यथा,मूल पॉलिसी,सूचना का विवरण,पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा(प्राकृतिक आपदा की स्थिति में), बैंक खाते का विवरण,मृत पशु का फोटो,टैग।
Q 16	इस योजना का नोडल विभाग कौन होगा?
A 16	इस योजना का नोडल विभाग पशुपालन विभाग होगा।
Q 17	पशुपालक द्वारा अपने बीमित पशु की बिक्री या उपहार करता है, तो क्या उसकों बीमा का लाभ मिलेगा?
A 17	नहीं, बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जायेगी।
Q 18	योजना में पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा?
A 18	योजनान्तर्गत पशु का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया जायेगा।
Q 19	वित्तीय वर्ष 25–26 में पंजीकरण व बीमा कार्य कैसे किया जायेगा?
A 19	वित्तीय वर्ष 25–26 में पंजीकरण व बीमा कार्य एक साथ प्रत्येक राजस्व ग्राम पर पशु चिकित्सक एवं बेस लाईन सर्वे एजेंट की उपस्थिति में किया जाना है।(जिओ–सिंकीग प्रक्रिया)
Q 20	योजना के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए कहां सम्पर्क करें?
A 20	योजना के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए टोल फ्री नं 1800–532–7172 है।